


Annual Transfer

| Transfer ID: | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|--------------|---|-------------|--------------------------------------|---|---|--|
| ID No | Name | Name & ID of spouse (In case of Judicial officer) | Home District, Retirement Date, Present Posting Desg. | Present Place of posting since | Joining Date | Previous places of posting | Zone w.e.f. | Natures of transfer/ Ground Category | Request Station | Place where Near & Blood relations reside | |
| UP6095 | Ratnesh Kumar Srivastava | N/A | DEORIA, 30.09.2031, Addl. District & Session Judge | Hardoi since April 2019 | 17.04.2019 | 1. Chandauli Jan 2004 to June 2007 2. Bansaon (Gorakhpur) June 2007 to Dec 2008 3. Gorakhpur (HQ) Dec 2008 to June 2010 4. Farrukhabad June 2010 to April 2013 5. Bareilly April 2013 to July 2015 6. Ghaziabad Aug 2015 to April 2019 | Lucknow | Due for transfer | 1. G.B. Nagar. 2. Bareilly 3. Meerut 4. Mathura 5. Saharanpur 6. Muradabad | 1. Ballia 2. Kushi Nagar | |
| Ground | Application/ Ground separately attached for kind perusal of Hon'ble Court. | | | | | | | | | | |
| Number & age of children alongwith place where they are receiving education | Only one daughter, Age 14 years at present, she is in High School and studying at Hardoi | | | | | | | | | | |


 (Ratnesh Kumar Srivastava)
 Addl. District and Session Judge, Court No. 5,
 Hardoi
 अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश
 कार्ट नं-5, हरदोई

प्रेषक,

रत्नेश कुमार श्रीवास्तव,
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट,

हरदोई।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
हरदोई।

विषय: CL No. 24/Admin (Services)/ 2021 दिनांकित सितम्बर 21, 2021
वार्षिक स्थानान्तरण (Due for transfer) विषयक प्रतिवेदन।

महोदय,

(1). उपर्युक्त विषयक ससम्मान अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मेरे द्वारा जनपद हरदोई में अप्रैल 2019 में कार्यभार ग्रहण किया गया। स्थानान्तरण हेतु निर्धारित तीन वर्ष की अवधि अप्रैल 2022 में पूर्ण होने के कारण मेरा इस वर्ष वार्षिक स्थानान्तरण नियत है। यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय के **आदेश/Notification No. 25/Main B/Admin(A-3)Allahabad** दिनांकित 16.08.2019 के अनुपालन में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, हरदोई में कार्यरत रहते मेरे द्वारा जनपद के एम०पी०/एम०एल०ए० से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई प्रारम्भ की गयी। माननीय उच्च न्यायालय/जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार इन प्रकरणों की सुनवाई मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 4 में कार्य करने एवं वर्तमान न्यायालय में कार्य करते हुए अनवरत रूप से जारी रखी गयी। जनप्रतिनिधि से सम्बन्धित उक्त प्रकरणों की सुनवाई करते हुए मुझे दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या **12788/2021/Admin.G-II Allahabad** दिनांकित 21.1.2021 व अधिसूचना संख्या **13332/Main B/(Admin A-3)/Allahabad** दिनांकित 08.11.2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या **(Civil)699/2016 अश्वनी कुमार उपाध्याय एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य** में निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में प्रार्थी की निम्न विषम परिस्थितियों/आवश्यकता/आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय महोदय के स्तर से अनुमति विषयक आवश्यक उपक्रम निवेदित है

(2). प्रथमतः यह अवगत कराना है कि प्रार्थी की एकमात्र पुत्री रिद्धिमा श्रीवास्तव वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययनरत है तथा वर्तमान समय में CBSE बोर्ड से संचालित एम०आर० सेठ जयपुरिया स्कूल, हरदोई में अध्ययनरत है, जिसमें हाईस्कूल के उपरान्त इण्टरमीडिएट में मात्र कामर्स विषय अध्ययन के लिए

25/11/21

उपलब्ध है। जबकि मेरी सुपुत्री की रुचि क्लैट की तैयारी के दृष्टिगत आर्ट विषय लेने की है, लेकिन अध्ययनरत उक्त स्कूल में आर्ट विषय उपलब्ध न होने के कारण विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है एवं कैरियर के अहम मोड़ पर निर्बाध एवं उचित शिक्षा हेतु अन्यत्र स्थानान्तरण निवेदित है।

(3). द्वितीयतः यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के वृद्ध माता-पिता मेरे साथ ही प्रवास करते हैं। मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पिताजी की आयु लगभग 78 वर्ष है तथा वह हृदय रोग, शुगर, लिवर के रोग से ग्रसित हैं तथा माताजी आर्थराइटिस व शुगर की बीमारी से पीड़ित है। जनपद हरदोई में हृदय रोग से सम्बन्धित कोई भी विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। माता-पिता की उक्त विषम परिस्थिति के कारण प्रार्थी को अत्यन्त दुश्चारी का सामना करना पड़ता है।

(4). तृतीयतः विशेष रूप से यह भी अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान लाकडाउन में परिवारीजन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपने माता-पिता के साथ एकमात्र छोटे भाई श्री अमरेश श्रीवास्तव एवं उनके परिवार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा उन्हें जनपद हरदोई में अपने पास रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा अनुज कोरोना संक्रमित हुआ एवं मेरे साथ रहते हुए स्थिति बिगड़ने पर इलाज के लिए मेदान्ता अस्पताल, लखनऊ ले जाया गया। वहां भी सुधार न होने पर एरा, मेडिकल कालेज, लखनऊ में उन्हें चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उनकी दिनांक 13.05.2021 को मृत्यु हुई। अतः जनपद हरदोई से अनुज के सम्बन्ध में दुखद स्मृतियां जुड़ी हुयी हैं एवं जनपद हरदोई में आगे प्रवास किया जाना दुःस्वप्न एवं वेदनाकारक है।

(5). यह भी अवगत कराना है कि जनप्रतिनिधि से सम्बन्धित प्रकरण की सुनवाई मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अत्यन्त निष्ठा, लगन एवं वरीयता के आधार पर की गयी। उसी क्रम में मेरे द्वारा निम्न प्रकरणों को निर्णीत किया गया:-

(i) सत्र परीक्षण संख्या 8/84 सरकार बनाम योगेन्द्र प्रताप, निर्णीत दिनांकित 04.11.2020

(ii) विशेष सत्र परीक्षण संख्या 01/2019 सरकार बनाम बृजेश वर्मा आदि निर्णीत दिनांकित 07.04.2021

(iii) विशेष सत्र परीक्षण संख्या 136/2012 सरकार बनाम कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा निर्णीत दिनांकित 25.11.2021

(iv) विशेष सत्र परीक्षण संख्या 8/2017 सरकार बनाम बृजेश वर्मा आदि निर्णय हेतु नियत दिनांक 30.11.2021

(v) उक्त निर्णीत पत्रावलियों के अतिरिक्त वर्तमान समय में मेरे न्यायालय में जनप्रतिनिधि से सम्बन्धित मात्र दो प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें सत्र परीक्षण संख्या 625/1982 सरकार बनाम रामपाल थाना बेनीगंज, की पत्रावली मूल अभिलेख दाण्डिक अपील संख्यां 926/1982 के निस्तारण के समय माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किये गये। माननीय उच्च न्यायालय से मूल अभिलेख वापस प्राप्त होने के उपरान्त विलुप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। अभिलेखों के पुर्नगठन के लिए आदेशित किया गया। अभिलेख के पुर्नगठन की कार्यवाही लम्बित है एवं आंशिक रूप से पुर्नगठित अभिलेख के पुनः विलुप्त होने के कारण आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई को पत्र प्रेषित है।


(vi). जनप्रतिनिधि से सम्बन्धित में मेरे न्यायालय में लम्बित द्वितीय प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण संख्या 72/2012 सरकार बनाम मुनुवा सिंह, थाना अतरौली एवं समेकित सत्र परीक्षण संख्या 153/2013 सरकार बनाम सन्तू उर्फ सत्य नारायण आदि, थाना अतरौली है। इस प्रकरण में भी

मूल अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में जांच कार्यवाही लम्बित है। अतः लम्बित प्रकरणों में मूल अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित नहीं हो पा रही है। जिसमें प्रार्थी की कोई त्रुटि अथवा लापरवाही नहीं है, अपितु यह विवशतावश ही है। मूल प्रपत्रों के अभाव में लम्बित प्रकरणों में निकट भविष्य में भी कोई सारभूत रूप से यथोचित कार्यवाही सम्भव नहीं है। अतः त्रिभ्रतापूर्वक निवेदित करना है कि ऐसी दशा में प्रार्थी का माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार इस जनपद में रुके रहना औचित्यहीन है।

(6). अतः प्रार्थी की उक्त विषम परिस्थितियों/आवश्यकता/आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर सुहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यदि प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद गौतमबुद्धनगर, बरेली, मेरठ, मथुरा, सहारनपुर या मुरादाबाद में से किसी एक जनपद में हो जाए तो प्रार्थी अपनी सुपुत्री को उचित शिक्षा दिलाने के साथ-साथ मय समुचित चिकित्सा व्यवस्था अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल भी सम्यक रूप से कर सकेगा।

(7). अतः माननीय महोदय से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी का प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृति/अनुमति हेतु उचित पटल/माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। प्रार्थी संदैव आभारी रहेगा।

सादर।

भवदीय,

(रत्नेश कुमार श्रीवास्तव)

दिनांक: 25.11.2021

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए)/

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, हरदोई।

अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश
कार्ट नं०-5, हरदोई